फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी — **अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण**

मदनसिंह — **बनाम** — **नोपसिंह वगैरह**

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र — मुकदमा नं. 298 / 2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
30/1/26	पत्रावली पेश बार एसोसियशन में कन्डोलेन्स ....कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इत्तफाका होकर दिनांक 09/2/26 को पेश हो।	
09.02.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 11.12.2024 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है, जबकि उक्त प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का है तथा इनके निस्तारण हेतु 3 माह की अवधि निर्धारित है। वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे साथ ही वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को गत तारीख पेशी दिनांक : 23.01.2026 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये एक अन्तिम अवसर ओर प्रकरण में सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ तलबी हेतु दिया गया था। परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना नहीं की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश–9 नियम–5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	

Scanned with OKEN Scanner